FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगण
लाबुराम पुत्र जीवाराम जाति सिरवी निवासी रामासनी बाला तहसील सोजत		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु0न0 54/ 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
24.03.2021	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 08.04.2021 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी सोजत सोजत (जिला-पाली) राज	
08.04.2021	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई गई, सामिल मिसल किया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार, सोजत अप्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रामासनी बाला तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1005, 1012, 1013, 1023 से 1033, 917 कुल किता 15 रकबा 21.2300 हैक्टर चा0 सो0 गै0मु0 बेरा व सडा तथा खसरा नम्बर 1034 रकबा 03.7500 हैक्टर चा0 सो0 बंजड कृषि भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है। उक्त विवाद ग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2055–58 में प्रार्थी का नाम लाबू पुत्र खिवाराम 1/8 लिखा है तथा कॉलम संख्या 11 व 22 में विभाजन के म्यूटेशन अनुसार प्रार्थी का नाम लाबूराम पुत्र खीवाराम कौम सिरवी सा0 देह खातेदार खसरा नम्बर 917, 1005/1, 1030, 1027/2 व 1025/1 में दर्ज करने का नोट लगाया इसके पश्चातवर्ती जमाबन्दीयों सम्वत 2059 से 2062 में उक्त विभाजन म्यूटेशन अनुसार खसरा नम्बर 917, 1005/1 1025/1, 1027/2 व 1030/1 के कॉलम में काश्त कारों के नाम में प्रार्थी का नाम लाबूराम पुत्र खीवाराम दर्ज किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 की जमाबन्दीयों में भी काश्तकार के कॉलम में प्रार्थी का नाम लाबूराम पुत्र खीवाराम कौम सिरवी दर्ज सुदा है। जमाबन्दी संख्या 11 व 12 ना0स0 458 बेचान 05.07.2002 खसरा नम्बर 1025/1 रकबा 0.4400 हैक्टर व खसरा नम्बर 1022/2 रकबा 0.0300 हैक्टर में प्रार्थी लाबूराम का नाम हटाकर भवरी बाई पत्नि	

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

चैनाराम सिरवी सा0 देह खातेदार दर्ज कर शेष खाता बदस्तुर रहा। सम्वत 2029 से 2062 में खसरा नम्बर 1034 की जमाबन्दी अलग से बनाई गई। सम्वत् 2063-66 की जमाबन्दी मे भी काश्तकार के कॉलम मे लाबूराम पुत्र खीवाराम सिरवी दर्ज किया गया। जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 व 12 मे विभाजन म्यूटेशन संख्या 452 तहसीलदार सोजत के आदेश कमांक/08/4014 दिनांक 28.12.2008 तथा राज/ 09/164 दिनांक 27.01.2009 अनुसार ना0रा0 452 निरस्त हो जाने के कारण उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा पुनः दर्ज किया गया। परन्तु परन्तु लिपिकिय टंकण की भूलवश प्रार्थी का नाम लाबूराम पुत्र खीवाराम के स्थान पर लादु पुत्र खीवा दर्ज कर दिया गयां इसके पश्चातवर्ती जमाबन्दी सम्वम् 2067-70 में जो सम्वत् 2055 से 2058 की जमाबन्दी मे जो स्थिति थी को विभाजन का नामान्तरकरण निरस्त हो जाने की वजह से पुनः बहाल किया गया। परन्तु उसमे लिपिकिय टंकण की भूल वश पैन ऑफ मिस्टेक होने की वजह से प्रार्थी का नाम लाबूराम पुत्र खीवाराम के स्थान पर लादु पुत्र खीवा हिस्सा 1/8 दर्ज कर दिया । खसरा नम्बर 1034 की अलग जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 तक अलग बनाई, उसमें भी प्रार्थी का लिपिकिय टंकण की भूल से लाबुराम पुत्र खीवाराम के स्थान लादुराम पुत्र खीवाराम कर दिया गया, यह गलती आगे से आगे चौसाला की जमाबन्दीयों में भी दौहराई जाने से गलत हुई, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त त्रुटी की जानकारी प्रार्थी के पुत्र जो बैंगलोर रहता है, सोजत आने पर जमाबन्दी की प्रति लेने पर दिनांक 10.03.2021 को हुई। लादू पुत्र खीवाराम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम रामासनी बाला में नही है। उक्त नाम लिपिकिय त्रुटिवश दर्ज हुआ, जबकि वास्तविक नाम लाबुराम पुत्र खीवाराम है। उक्त त्रुटि से सरकारी /अर्द्ध सरकारी येाजनाओं के लाभ से वंचित रहा है। उक्त त्रुटि दुरूस्त करने पर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नही होते है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से प्रार्थी का दर्ज नाम लादू पुत्र खीवा के स्थान पर सही व दुरूस्त रूप से लाबुराम पुत्र खीवाराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सोजत को वास्ते जबाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पद संख्या 1,3,5,6 को स्वयं सिद्ध किया जाना 02 को स्वीकार किया व 7, 8 , 9 का कानूनी दर्शाया है। पद संख्या 4 के जबाब मे अंकित कि मौजा रामासनी बाला के खाता संख्या 173 व 174 में दर्ज खातेदार के नाम व इसी जमाबंदी के कालम संख्या 11 व 12 के आधार पर जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 लादू पुत्र खीवा 1/8 के स्थान पर लाबूराम पुत्र खीवाराम दर्ज करने की अनुशंषा की है।

बहस प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। बहस प्रा0 पत्र धारा 136 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि उक्त विवादस्थ कृषि भूमि की जमावंदी सम्वत् 2055-58 में लाबू

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) पाल

Scanned with CamScanner

पुत्र खीवा 1/8, 11 व 12 कॉलम में लाबूराम पुत्र खीवाराम कौम सीरवी तथा जमाबंदी सम्वत् 2059–62 में लाबूराम पुत्र खीवाराम तथा बेचान से सम्बद्ध अंकन कॉलम संख्या 11 व 12 में लाबूराम तथा जमाबंदी सम्वत् 2063–66 तथा कॉलम संख्या 11 व 12 में भी लाबूराम पुत्र खींवाराम कौम सीरवी दर्ज है किन्तु आगामी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2067–70 में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम लादु पुत्र खीवा 1/8 जाति सीरवी दर्ज हो गया, जो लिपिकीय सद्भाविक टंकण की भूलवश दर्ज हुआ, जो आगे की जमाबंदी तथा वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में दर्ज है। जिसे दुरुस्त रूप से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक एवं सही रूप में लाबूराम पुत्र खींवाराम 1/8 जाति सीरवी दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस में तहसीलदार, सोजत ने कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त कर स्वीकारोक्ति देते हुए अभिशंषा व्यक्त/अंकित की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अधिवक्ता का प्रा0 पत्र, जबाब अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस उभय पक्ष पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः विवादस्थ विवादस्थ कृषि भूमि की जमाबंदी सम्वत् 2055–58 में लाबू पुत्र खीवा 1/8, 11 व 12 कॉलम में लाबूराम पुत्र खीवाराम कौम सीरवी तथा जमाबंदी सम्वत् 2059–62 में लाबूराम पुत्र खीवाराम तथा बेचान से सम्बद्ध अंकन कॉलम संख्या 11 व 12 में लाबूराम तथा जमाबंदी सम्वत् 2063–66 तथा कॉलम संख्या 11 व 12 में भी लाबूराम पुत्र खींवाराम कौम सीरवी दर्ज है किन्तु आगामी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2067–70 में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम लादु पुत्र खीवा 1/8 जाति सीरवी दर्ज हो गया, जो लिपिकीय सद्भाविक टंकण की भूलवश दर्ज हुआ, जो आगे की जमाबंदी तथा वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में दर्ज है। जिसे दुरुस्त रूप से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक एवं सही रूप में लाबूराम पुत्र खींवाराम 1/8 जाति सीरवी दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस में तहसीलदार, सोजत ने कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त कर स्वीकारोक्ति देते हुए अभिशंषा व्यक्त/अंकित की है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादस्थ भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सद्भाविक टंकण की भूलवश दर्ज लादू पुत्र खीवा 1/8 जाति सीरवी सा0 देह खातेदार के स्थान पर लाबूराम पुत्र खींवाराम 1/8 जाति सीरवी सा0 देह खातेदार दुरुस्त व वास्तविक रूप से प्रविष्टि दर्ज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा रामासनी वाला तह0 सोजत मे स्थित कृषि भूमि ख0न0 1005, 1012, 1013, 1023 से 1033 व 917 कुल किता 15 रकबा 21.2300 हैक्टर तथा ख0न0 1034 रकबा 3.7500 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में

उपखण्ड अधिकारी

सद्भाविक/टंकण की भूल से गलत रूप से लिपिकीय भूलवश दर्ज लादू पुत्र खींवा हिस्सा 1/8 जाति सीरवी सा0 देह खातेदार के स्थान पर वास्तविक व सद्भाविक प्रविष्टि लाबूराम पुत्र खींवाराम हिस्सा 1/8 जाति सीरवी सा0 देह खातेदार दुरूस्त दर्ज करने के तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। उक्त निर्णय की प्रतिलिपि भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner